राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश. / 849 /2021 दिनांक 05.04.2021

श्रीमती रेखा चौधरी (RJ1096), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-03, भरतपुर को दिनांक 05.04.2021 से 01.10.2021 तक 180 दिनों का द्वितीय मातृत्व अवकाश दिनांक 04.04.2021 एवं 02.10.2021 से 03.10.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री सुभाष चन्द्र कोटिया (RJ0978), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, भरतपुर को श्रीमती रेखा चौधरी के उक्त मातृत्व अवकाश की अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ अतिरिक्त अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-03, भरतपुर के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्द्वारा पदस्थापित / नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

1. ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित है, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे।
2. श्री सुभाष चन्द्र कोटिया (RJ0978), *जिनको* अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-03, भरतपुर के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है।

आज्ञा से

05-04-2021

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/84/2016/2230 दिनांक :05.04.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भरतपुर को उनके पत्रांक 1816 दिनांक 25.03.2021 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती रेखा चौधरी (RJ1096), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-03, भरतपुर।
4. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-03, भरतपुर।
5. श्री सुभाष चन्द्र कोटिया (RJ0978), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, भरतपुर ।
6. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, भरतपुर ।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर।

सहायक रजिस्ट्रार